कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 2052 /निरीक्षण/2005 भोपाल, दिनांक 19.09.2006

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषयः— आडिट निरीक्षण के समय आक्षेपों का प्रतिरक्षण करने के संबंध में ।

—————————

यह ध्यान में आया है कि महालेखागार मध्यप्रदेश द्वारा पंजीयन कार्यालयों के आडिट निरीक्षण के समय आडिट दल द्वारा लगाये गये आक्षेपों का वांछित जवाब यथासमय कार्यालय में तत्समय उपस्थित पंजीयन अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है तथा आडिट आक्षेप का नियमानुसार प्रतिरक्षण नहीं किया जाता है, जिससे अनेक आडिट कण्डिकाएं अनावश्यक रूप से निर्मित होती हैं । अतः यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी पंजीयन कार्यालय के आडिट निरीक्षण के समय प्रत्येक आक्षेप के संबंध में नियम सहित पूर्ण स्थिति आडिट दल के समक्ष रखी जाये, जिससे अनावश्यक रूप से आडिट कण्डिकाएं निर्मित न हों । जिले के उप पंजीयक कार्यालयों के आडिट निरीक्षण के समय जिला पंजीयक द्वारा आडिट आक्षेपों का यथासमय निराकरण कराया जाये । यदि अब भविष्य में यह पाया गया कि आडिट निरीक्षण के समय किसी पंजीयन अधिकारी द्वारा आडिट आक्षेप का वांछित प्रतिरक्षण न किये जाने के कारण कोई आडिट कण्डिका निर्मित हुई है तो संबंधित पंजीयन कार्यालय के उक्त आडिट निरीक्षण के समय कार्य पर उपस्थि पंजीयन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है । उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

हस्ता/—

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश